NAVODYA TIMES, Delhi, 4.10.2018
Page No. 11, Size:(16.46)cms X (15.99)cms.

आधार के लिए होगा ऑफलाइन वैरीफिकेशन, प्राइवेसी से जुड़ी चिंता होगी दूर

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर (एजेंसी): निजता और डाटा सुरक्षा की चिंताओं को दूर करने की कोशिश के तहत केन्द्र सरकार अब आधार कार्ड के वैरीफिकेशन के लिए ऑफलाइन तरीकों पर जोर दे रही है जिसमें ऑथैंटीकेशन के लिए यू.आई.डी.ए.आई. सर्वर की जरूरत नहीं है।

आधार वैरीफिकेशन के लिए सरकार द्वारा क्यू.आर. कोड और पेपरलैस के.वाई.सी. का इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें न बायोमैट्रिक डिटेल को शेयर करने की जरूरत होगी और न ही आधार के सर्वर के इस्तेमाल की जरूरत होगी।

के.वाई.सी. (नो योर कस्टमर) प्रक्रिया में यूजर्स को अपना आधार नंबर देने की जरूरत नहीं होगी जिससे उनके डाटा के चोरी होने या फिर ट्रैक होने जैसी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। यह ऑफलाइन प्रक्रिया प्राइवेट कम्पनियों के बायोमैट्रिक बेस्ड आधार ऑथैंटीकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पूरी तरह से पालन करेगी।

इस ऑफलाइन के.वाई.सी. को सरकार समेत सभी सेवा प्रदाता इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ ही इसे अन्य पहचान पत्रों जैसे पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसैंस, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि के अतिरिक्त भी इस्तेमाल किया जा सकेगा।

सरकार को इस बात की पूरी उम्मीद है कि ऑफलाइन आधार के.वाई.सी. की विश्वसनीयता इसे लोकप्रिय बनाएगी, जो टैक आधारित कम्पनियों के लिए एक बेहतर विकल्प साबित होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ऑथैंटीकेशन के लिए यू.आई.डी.ए.आई. सर्वर तक पहुंच से वंचित हो गई हैं। इस क्यू.आर. कोड को यू.आई.डी.ए.आई. की वैबसाइट से डाऊनलोड और प्रिंट किया जा सकता है।

अधिकारियों के मुताबिक ई-के.वाई.सी. और क्यू.आर. कोड वाले तरीके से निजता की सुरक्षा होगी और यूजर्स को निजी सूचनाओं में सिर्फ नाम और पता ही देना होगा। इससे बिना आधार नंबर दिए ही बैंक अकाऊंट खोलने और सिम कार्ड खरीदने में मदद मिलेगी।